समाज पीड़ित लड़की को न्याय दिलाए

इंदिरा, मणीषा

इस लेख में बांसवाड़ा (राज.) की गढ़ी पंचायत समिति के गांव सरेड़ी की स्वर्ण जाति की एक ब्याहता की दुखभरी गाथा है। आदिवासी समाज की तरह स्वर्ण जाति में औरतों की दूसरी शादी का रिवाज नहीं है। लड़की कभी पिता व कभी पति की दया पर जिंदगी जीने को मजबूर रहती है।

ऐसे मामलों में एक जिम्मेदार व्यक्ति और समाज क्या भूमिका निभाए यह बहुत अहम् सवाल हैं। पाठक अपनी प्रतिक्रिया भेजें।

संपादिका

सरेड़ी निवासी शांति लाल शुक्ला के बेटे महेन्द्र शुक्ला की शादी गिरीश चंद्र पांइया की बेटी लता से 5 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ ही महीने बाद उसे और दहेज लाने के लिए तंग करना शुरू कर दिया गया। उसे कई-कई दिन अंधेरे बंद कमरे में रखा जाता। किसी से मिलने नहीं दिया जाता। उसके साथ मारपीट की जाती। उसे घर पत्र भी नहीं लिखने दिया जाता।

कई बार उसे मायके छोड़ आते, फिर वापस ले जाते। वापस ले जाते समय गलतियों के लिए माफी मांगते, लेकिन घर जाकर लता के साथ फिर वही बुरा व्यवहार शुरू हो जाता। पिछले करीब डेढ़ साल से लता अपने पिता के घर रह रही है और ससुराल-वालों ने उसे बुलाने की कोई कोशिश नहीं की।

करीब 5 महीने पहले लता के पिता को पता चला कि शांतिलाल महेंद्र की दूसरी शादी कर रहे हैं। दूसरी शादी पंचायत समिति गढ़ी के जौलाना गांव के रहने वाले ध्रुवशंकर भट्ट की लड़की धर्मिष्ठा से तय हुई है। लता के पिता ने हमें सूचना दी। हमने लता से बातचीत की। उस पर क्या-क्या बीती हमें विस्तार से पता चला। हमने शांतिलाल व महेंद्र के परिवार वालों से मिलना चाहा लेकिन कई बार की कोशिशों के बावजूद उनसे मिलना नहीं हो पाया।

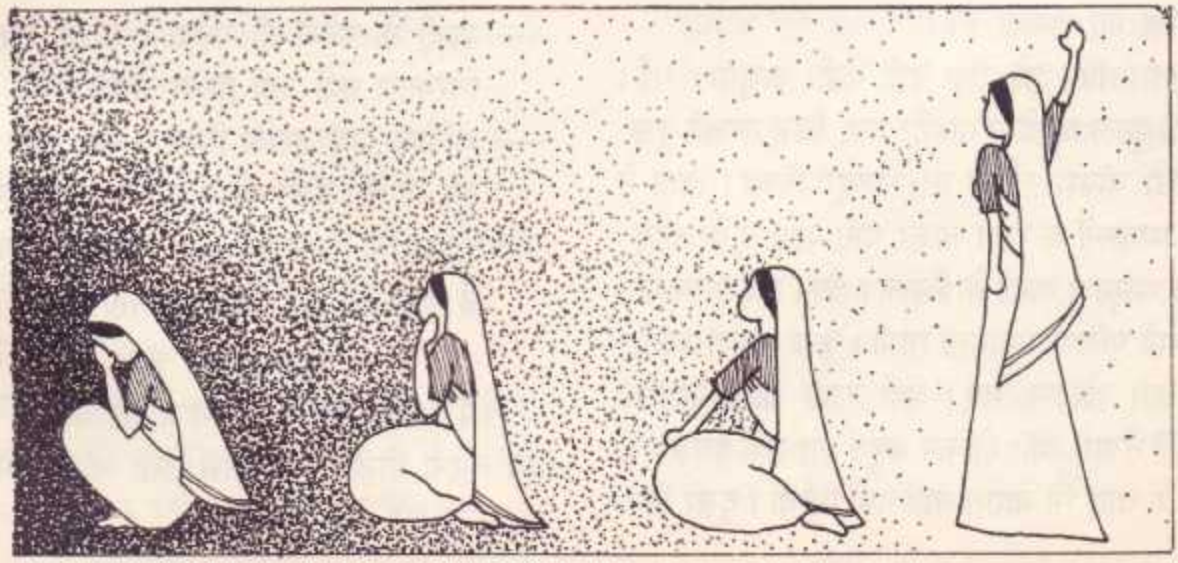

दूसरा ब्याह

लोगों से बातचीत कर पता चला कि लता के ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। दूसरी शादी एक प्रकार से उनके यहां रिवाज़ बन गया है। शांतिलाल जी ने खुद दो शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी गांव में ही रह कर जैसे-तैसे अपनी जिंदगी बसर कर रही है।

हम जौलाना निवासी ध्रुवशंकर भट्ट व उनकी पुत्री धर्मिष्ठा से मिले। लता की स्थिति बताकर उनसे इस विवाह के बारे में फिर से सोचने को कहा।

धर्मिष्ठा ने कहा—यदि आप लता को उसके ससुराल फिर से भेज सकते हो तो शीघ्र भेजो, अन्यथा यह शादी तो होगी ही।

ध्रुवशंकर ने कहा—आप सैद्धांतिक रूप से जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन व्यवहार में मानने योग्य नहीं है। मैं नहीं मान सकता।

महेंद्र शुक्ला के घरवालों को जब यह सब पता चला तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि यह शादी तो ज़रूर होगी। हां, वह लता को कुछ धन-राशि दे सकते हैं। लता के घरवालों को यह मंजूर नहीं था। क्या शादी जैसे पवित्र बंधन को धन के बल पर तोड़ा जा सकता है?

लता अपने को रोक नहीं पाई। ससुराल गई। मगर ससुराल वालों ने मारपीट कर, बिना उसकी कुछ सुने उसे वापस लौटने पर मजबूर किया। लता ने अपने घरवालों के साथ जाकर धारा 498-ए के तहत् पति व ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया।

हमने पुलिस सहायता मांगी। कुछ प्रमाण इकट्ठे करने हम जौलाना गए। वहां शादी ज़ोर-शोर से होने की तैयारी थी। लेकिन बहुत रात तक इंतज़ार करने के बाद भी बारात वहां नहीं पहुंची। दूसरे दिन कुछ लोगों से पता चला कि देर रात गए यह शादी किसी मन्दिर में संपन्न करवा दी गई।

समाज की भूमिका

— क्या शादी कोई खेल तमाशा है जिसे जब चाहा रचा लिया, जब मन चाहा एक झटके में तोड़ दिया?

— कब तक दहेज रूपी नाग स्त्रियों को डसता रहेगा?

— गांव समाज व धर्मिष्ठा ने क्यों नहीं ऐसे लोगों का बहिष्कार कर उन्हें प्रताड़ित किया?

— ध्रुवशंकर एक अध्यापक हैं। क्या वे बच्चों के भविष्य निर्माण करने योग्य हैं? उन्होंने अपनी ही जाति के भाई की बेटी का हक छीनकर अपनी बेटी का जीवन आबाद करने की कोशिश की।

— आखिर कब तक नारी को ही नारी के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहेगा?

— महिला ही क्यों महिला के दुख को नहीं समझ पाती है।

— समाज ने महेंद्र के दूसरे ब्याह को मौन स्वीकृति दी। क्या समाज द्वारा ऐसे संबंधो को मान्यता देना ठीक होगा?

— शादी के पहले ही महेंद्र व उसके पिता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

— धर्मिष्ठा एवं उसके पिता ने सब कुछ जानते हुए भी ऐसे रिश्ते को स्वीकारा। यह कैसे मान लिया कि आज जो कुछ लता के साथ हुआ है कल धर्मिष्ठा के साथ नहीं होगा?

समस्या का हल

हमें अपनी भूमिका, समाज को अपनी भूमिका तय करनी होगी। हम किस तरह भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकें।

— शुरुआत हम अपने ही घरों, अपने आस-पास से करें।
— अगर किसी घर में बहू-बेटी के साथ बुरा व्यवहार या अत्याचार हो रहा है तो चुप न रहें। परिवार के सदस्यों को समझाएं। लड़की को हिम्मत देते हुए सही रास्ता दिखाएं।
— अगर लड़की के प्रयासों के बावजूद संबंध बिगड़ते ही जाएं तो बात अपने तक सीमित न रखकर अपने पीहर व अन्य रिश्तेदारों को इसकी खबर ज़रूर देती रहें। चुपचाप सहने से ऐसे व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
— पीहर वालों को भी अपनी बेटी के साथ हो रहे अत्याचार को जानबूझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। अन्य बच्चों के विवाह न होने के डर से बेटी को ससुराल में अकेले सब कुछ सहने को मजबूर न करें।
— अगर बेटी की ससुराल से या बेटी की प्रताड़ना संबंधी कोई चिट्ठी आती है तो उसे प्रमाण के लिए ज़रूर रखें।
— अगर बेटी पीड़ित होकर मायके आ जाए तो कार्यवाही करने में देरी न करें।
— लड़कियों व महिलाओं को क़ानूनी जानकारी देना ज़रूरी है।
— समाज द्वारा महिला अत्याचार कम करने और दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। जिस घर में एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई हो उस घर में दूसरी बेटी न दें। बेटी का जीवन बर्बाद होने से बचाएं।
— लड़की के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर लड़की को मानसिक तकलीफ न दें। उसे भावी जीवन बनाने हेतु सहारा दें।
— लड़की को दुबारा विवाह करने की समाज की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए।
— पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी गैर क़ानूनी है। क़ानूनन दूसरी पत्नी की स्थिति रखैल की है।
— समाज की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह बनती है कि वह ऐसी छोड़ी हुई लड़कियों के प्रति सहानुभूति दिखाए। ऐसे युवकों को प्रोत्साहित करें जो इन लड़कियों को अपनाने में पहल करें।

हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम क्यों किसी दूसरी औरत को तकलीफ दें? किसी अन्य के बारे में कुछ कहने या करने से पहले सोचें कि ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ या हमारी बहन, बेटी के साथ हो तो हम पर क्या बीतेगी।

साभार: साथिन रो कागद, बांसवाड़ा (राज.)